दिनांक 16.07.2019

स्वच्छ भारत अभियान — स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

उड़नदस्ता टीम की बड़ी कार्यवाही 70 किलो से अधिक पॉलिथीन किया जप्त, योजनाबद्ध तरीके से की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार आज जोन 01 नेहरु नगर एवं जोन 02 वैशाली नगर के अंतर्गत होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों एवं एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ पर निगम की उड़नदस्ता टीम कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ , नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया तथा 03 दिवस में 32 प्रतिष्ठान से 35000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाइश दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने या गंदगी, एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थ पाये जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है। निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा पुराना हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में गुरुद्वारा के पीछे मकान में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए टीम के किसी कर्मचारी को ग्राहक बनाकर पॉलीथिन बेचने वाले के पास भेजा गया , विक्रय करने की पुष्टि होने पर 70 किलो से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , महादेव बेकरी कुरुद वार्ड 16 में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ जब्त किया गया और समझाईस दी गई उसी प्रकार कृपा फुड जक्शन, शिवम टाईल्स एवं सेनेटरी, सोडा क्लब एवं डेलीनीड्स, शर्मा स्टेशनरी एवं फोटोकापी, एकता मोबाईल प्वाईंट, रामभक्त हनुमान, भरत कुमार सब्जी व्यवसायी, राम पटेल, रवि ट्रेडर्स, परमार हार्डवेयर, महादेव किराना, सोना किराना एवं जनरल , सांई इन्टरप्राईजेस, सिंह ट्रेडर्स, शुभम फुटकर, जय किराना एवं जनरल स्टोर्स , द्विवेदी किराना एवं जनरल स्टोर्स, द्विवेदी किराना एवं जनरल स्टोर्स, नेहा टेडर्स, पंकज चाय ठेला, संतोष इडली डोसा, प्रिंस डेयरी, ईशा मेगा मार्ट, श्रृंगारिका गिफ्ट, पतंजली आरोग्य केन्द्र, इस्पाईस जेन्स पार्लर, नाहिद परवीन, राजेश मेडिकोज, तुलसी जनरल, विनू इलेक्ट्रानिक, श्री बालाजी स्वीट्स पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की गई। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित , लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें , गंदगी न फैलाये, एक्सपायर हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ का विक्रय तथा आवागमन प्रभावित न करें , स्वच्छता बनाए रखें।

जनसम्पर्क अधिकारी